उ०प्र० पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट

14—अशोक मार्ग, शक्ति भवन (वि०),
लखनऊ

Email id: cpftrust.2004@gmail.com Website- www.uppst.org

पत्र सं०— /82/सी०पी०एफ० ट्रस्ट/प्रतिनियुक्ति/लेखापची/2020 दिनांकः—

निदेशक (वित्त)
उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि०
पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल
विद्युत वितरण निगम लि०
वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा।

उपमुख्य लेखाधिकारी
कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि०
कानपुर।

विषयः—उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० से अन्यत्र विभागों/कम्पनियों में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये सी०पी०एफ० योजना से आवरित कार्मिकों से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध कराने एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही कराने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि समस्त डिस्कॉम/उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि० की अधीनस्थ इकाइयों में तैनात अंशदायी भविष्य निधि योजना से आवरित कार्मिकों को अन्यत्र विभागों/कम्पनियों में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। उक्त के सम्बन्ध में सूचित करना है कि प्रतिनियुक्ति पर तैनात कार्मिकों से सम्बन्धित सी०पी०एफ० अंशदान की धनराशि मूल विभाग में उनके अन्तिम तैनाती कार्यालय द्वारा सीधे ट्रस्ट कार्यालय को प्रेषित की जा रही है, जबकि उ०प्र०पा०का०लि० के पत्र सं0—325/उ0म0प्र0/मान०सेल/18/ई०आर०पी० प्रणाली दिनांक 24.12.2021, पत्र सं0—327/उ0म0प्र0/मान0सेल/18/ ई०आर०पी० प्रणाली दिनांक 30.12.2021 एवं पत्र सं०—02/उ०म०प्र०/मान०सेल/18/ ई०आर०पी० प्रणाली दिनांक 05.01.2022 द्वारा सभी प्रकार के भुगतानों के सम्बन्ध में सभी वितरण कम्पनियों के निदेशक (वित्त) के नियंत्रणाधीन केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ का गठन कर केन्द्रीय भुगतान से सम्बन्धित कार्यवाही कराने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि० में भी केन्द्रीय भुगतान व्यवस्था के तहत वेतन का भुगतान किया जा रहा है।

उक्त के अनुपालन में प्रतिनियुक्ति पर तैनात कार्मिकों के वेतन से काटी गयी सी०पी०एफ० अंशदान की धनराशि (नियोक्ता अंशदान सहित) ट्रस्ट कार्यालय को प्रेषित करने से पूर्व निम्नलिखित कार्यवाही कराया जाना अपेक्षित हैः—

1. समस्त डिस्कॉम/ उ०प्र०पा०का०लि० /उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि० की अधीनस्थ इकाइयों से अन्यत्र विभागों/कम्पनियों में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए कार्मिकों की SAP ID बनवाया जाना आवश्यक है। साथ ही ऐसे कार्मिकों का सी०पी०एफ० अंशदान ट्रस्ट कार्यालय को प्रेषित करते समय SAP ID अंकित करते हुए सी०पी०एफ० अंशदान का पूर्ण विवरण प्रेषित किया जाना अनिवार्य है।
2. अन्यत्र विभागों/कम्पनियों में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए कार्मिकों की अंतिम तैनाती इकाई द्वारा सम्बन्धित विभागों/कम्पनियों से प्राप्त सी०पी०एफ० अंशदान (कार्मिक+नियोक्ता अंशदान) का लेखांकन ई०आर०पी० प्रणाली में कराया जाना आवश्यक है, जिससे सम्बन्धित कार्मिक की सी0पी0एफ0 लेखापर्ची ई०आर०पी० प्रणाली के माध्यम से निर्गत की जा सके।
3. उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि० से प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये कार्मिकों का सी०पी०एफ० अंशदान ट्रस्ट कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप सं०—1334/80/सी०पी०एफ० ट्रस्ट/ई०आर०पी०/2020 दिनांक—01.11.2021 के माध्यम से अधिकृत नोडल अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रारूप में दिये गये निर्देशानुसार ई०आर०पी० टीम को प्रेषित किया जायेगा।
4. उक्त के अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति पर तैनात कार्मिकों से सम्बन्धित सूचनाएँ निम्नलिखित प्रारूप में वांछित हैः—

क्रम सं0	कार्मिक का नाम	मूल विभाग में अंतिम धारित पदनाम	सी0पी0एफ0 खाता सं0	SAP ID	मूल विभाग की अंतिम तैनाती इकाई का नाम	प्रतिनियुक्ति विभाग का नाम	प्रतिनियुक्ति की अवधि
1.							
2.							
3.							

उक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुये वांछित सूचना शीघ्रातिशीघ्र ट्रस्ट कार्यालय को प्रेषित कराने का कष्ट करें, जिससे प्रतिनियुक्ति पर तैनात कार्मिकों के सी०पी०एफ० अंशदान का रख–रखाव एवं सी०पी०एफ० लेखापर्ची ई०आर०पी० प्रणाली के माध्यम से निर्गत कराने के सम्बन्ध में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जा सके।

/

(ए०के० पुरवार)
निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०),
उ०प्र०पा०का०लि० एवं ट्रस्टी

पत्र सं०–814/82/सी0पी0एफ0 ट्रस्ट/प्रतिनियुक्ति/लेखापर्ची/2020/तद्दिनांकः– 03/06/2022
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (कार्मिक एवं प्रबन्धन), पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा।
3. समस्त कार्मिक ट्रस्टीज़, उ०प्र० पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. अधिशासी निदेशक (वित्त एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/ उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. समस्त मुख्य अभियंता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०/ पूर्वांचल/ पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०।
6. मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अपर सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. संयुक्त सचिव (ज०श० एवं प्रशि०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त उपमहाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा।
11. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी, परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (वितरण), पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०।
12. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/ उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०।
13. उपसचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
14. लेखाधिकारी (सी०पी०एफ०), पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०/केस्को, वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा/कानपुर।
15. लेखाधिकारी, परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, पारेषण–उत्तर पूर्व/दक्षिण–पूर्व/पश्चिम/मध्य/दक्षिण पश्चिम/दक्षिण–मध्य, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, गोरखपुर/प्रयागराज/मेरठ/लखनऊ/आगरा/झांसी।
16. लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/ उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
17. लेखाधिकारी (सामग्री प्रबन्ध), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, महानगर, लखनऊ।
18. समस्त लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(ए०के० पुरवार)
निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०),
उ०प्र०पा०का०लि० एवं ट्रस्टी

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA